

राजस्थान जयपुर
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
क्रमांक:-निसंशि/सस्था-2(कख)/स्थाना./2019/4961-4983

दिनांक :-08.03.2019

:: आदेश ::

राज्य हित में निम्नलिखित अधिकारियों का स्थानान्तरण स्वैच्छिक/प्रशासनिक दृष्टि से उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	श्री विष्णु कुमार शर्मा	प्रधानाचार्य (वर्तमान सहायक निदेशक पद के विरुद्ध कार्यरत)	कार्यालय निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान,जयपुर	कार्यालय संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, अजमेर संभाग,अजमेर	रिक्त पद पर
2.	डॉ. महेन्द्र कुमार शर्मा	प्रधानाचार्य (वर्तमान संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी कार्यालय में कार्यरत)	कार्यालय संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, उदयपुर संभाग,उदयपुर	कार्यालय संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, भरतपुर संभाग,भरतपुर	रिक्त पद पर
3.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	प्रधानाचार्य	राज.वरि.उपा.सं.वि.,डूकिया सीकर	कार्यालय संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, बीकानेर संभाग चूरु	रिक्त पद पर
4.	श्री जस्सी राम रामस्नेही	प्रधानाचार्य	राज.वरि.उपा.सं.वि.,चौढ़ा, जोधपुर	कार्यालय संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, जोधपुर संभाग,जोधपुर	श्री सीताराम शर्मा के दिनांक 30.04.19 को सेवानिवृत्ति होने पर प्रभावी
5.	श्री मुरारी लाल राव	प्रधानाचार्य	राज.वरि.उपा.सं.वि., अमरसर, जयपुर	कार्यालय निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान,जयपुर	सहायक निदेशक के पद के विरुद्ध
6.	श्री हरिओम गौतम	प्रधानाचार्य (वर्तमान संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी कार्यालय में कार्यरत)	कार्यालय संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, कोटा संभाग,कोटा	कार्यालय संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, जयपुर संभाग,जयपुर	रिक्त पद पर

नोट :- स्थानान्तरित कार्मिकों को आदेश की पालना में तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ करना होगा। क्र.सं. 1,3,4 एवं 6 पर अंकित अधिकारियों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा। निर्वाचन कार्यों में कर्तव्यारूढ़ कार्मिकों के संबंध में कार्यमुक्ति सक्षम स्वीकृति के पश्चात की जावें।

(हरजी लाल अटल)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी।
5. संबंधित संस्था प्रधान।
6. संबंधित अधिकारी।
7. वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर को उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. व्यक्तिगत / संरक्षण पंजिका।



निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर